



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
कोच्चि KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING  
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फा.सं. II/39/14/2018 -रा.भा.

तारीख/Date: 18.10.2019

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य,  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय,  
कोचिन-18

All the members of the O L I C,  
Central Tax & Central Excise  
Commissionerate,  
Cochin-18.

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.10.2019 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 10.10.2019.

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.10.2019 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi-18 held on 10.10.2019. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीय/Yours faithfully,

(डॉ. टी.टिजू / Dr. T.Tiju)

अपर आयुक्त(का.व सत.)/ ADDITIONAL COMMISSIONER(P&V)

प्रतिलिपि /Copy to:

1. महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।  
**The Director General, Directorate Performance Management, Customs, Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi - 2.**
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।  
**The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise & Customs, C.R.Building, I.S.Press Road, Thiruvananthapuram Zone.**
3. आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय  
**P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions**
4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त  
**All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING



आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.10.2019 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 10.10.2019

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 10.10.2019 को अपराह्न 03.00 बजे केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि प्रधान आयुक्त श्री के.आर. उदय भास्कर की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मलेन कक्ष में आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened on 10.10.2019 at 03.00 pm under the Chairmanship of Shri K.R. Uday Bhaskar, Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi in the Conference Hall of the Commissionerate. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती/कु.) Name of the Officer(S/Shri/Smt/Ku.)	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	डॉ टी. टिजु Dr. T. Tiju	अपर आयुक्त Addl. Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
2	राजेश्वरी आर. नायर Rajeswari R.Nair	संयुक्त आयुक्त[का.व सत.] Joint Commissioner[P&V]	मुख्यालय Hqrs.
3	बिजु थॉमस Biju Thomas	संयुक्त आयुक्त[तकनीकी] Joint Commissioner[P&V]	मुख्यालय Hqrs.
4	डॉ अजितेश राधाकृष्णन Dr. Ajitesh Radhakrishnan	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
5	सुरेश बाबु पी. जी.	सहायक आयुक्त	का. व सत., मु.

	Suresh Babu P.G.	Assistant Commissioner	P&V Hqrs.
6	जिम्मी जोसफ Jimmi Joseph	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	मु.ले अधिकारी / लेखा परीक्षा
7	उमा देवी बी. Uma Devi B.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	न्यायनिर्णयन/ ई.डी.पी. Adjudication/E.D. P.
8	के. शक्तिधरन K. Shaktidharan	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	विधिक /सूचना अधिकार/प्रशिक्षण Legal/RTI/Trainin g
9	शालिनी सुष्मिता Shalini Sushmita	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	आलुवा मंडल Aluva Dvsn.
10	जयकान्त सी वी Jayakant C.V.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	पेरुम्बावूर मंडल Perumbavoor Dvsn
11	अश्विन जॉन जॉर्ज Ashwin John George	उप आयुक्त Deputy Commissioner	एर्णाकुलम मंडल Ekm Dvsn.
12	विनुता एम. Vinuta M.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	काक्कनाड मंडल Kakkanad Dvsn.
13	बिजु पॉल Biju Paul	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	इडुक्की मंडल Idukki Dvsn
14	सी. डी. जोस C.D. Jose	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	तृशूर मंडल Thrissur Divsn
15	किरण टी.ए. Kiran T.A.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	चालक्कुडी मंडल Chalakkudy Divsn
16	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत Smt. Rosalind Jose Thomas Koruthu	कनिष्ठ अनुवादक Junior Translator	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।

The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

**I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.**

a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। **Documents coming under section 3(3) of OL Act, 1963 should be issued only in bilingual form:**

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाए। पिछली तिमाही में 35 कागजात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए और उन सभी कागजातों को हिन्दी में भी जारी किए गए।

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. During the

previous quarter 35 papers were issued under section 3(3) of OL Act, 1963 and all those papers were issued in Hindi too.

**कार्रवाई:** प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक

**Action:** AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn.,  
Vigilance sections, PRO, JT

- b. आयुक्तालय का नाम पट्ट - त्रिभाषी रूप में बनाना तथा हिंदी शब्द अर्थ सहित प्रदर्शित करने हेतु एक सफ़ेद बोर्ड खरीदना / **Commissionerate's name board to be made in trilingual form and a white board for displaying Hindi word with meaning.**

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि हमारे आयुक्तालय के नाम पट्ट को यथाशीघ्र इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाकर त्रिभाषी रूप में बनाया जाए | समिति को सूचित किया गया कि आयुक्तालय भवन के प्रकोष्ठ पर एक सफ़ेद बोर्ड में हर दिन एक हिंदी शब्द अर्थ सहित लिखा किया जा रहा है |

The Chairman directed that Commissioneerate's name board may be made into a trilingual board by making it an electronic board as early as possible. The Committee was informed that a Hindi word with meaning is being written daily on a white board kept in the lobby of the Commissioneerate's building.

**कार्रवाई:**जन संपर्क अधिकारी, केयर टेकर एकक, राजभाषा अनुभाग/ **Action: PRO, Caretaker Unit,OL Hindi Section**

- c. विभागीय पत्रिका "कैरली 2018-19" के लिए लेख एकत्र करना / **Collecting articles for departmental magazine "Kairali-2018-19".**

समिति को सूचित किया गया कि कैरली पत्रिका के लिए केवल 8 रचनाएँ अब तक प्राप्त हुई हैं |

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि कैरली पत्रिका के लिए हर एक मंडल कम से कम 3 रचनाएँ दो सप्ताह के अन्दर देना चाहिए |

The Committee was informed that only eight articles were received until now for the Kairali magazine. Chairman directed that each division should contribute at least three articles for the Kairali magazine within two weeks.

**कार्रवाई:**सभी अनुभाग/मंडल **Action: All Sections/Divisions**

- d. हिंदी पखवाड़ा 2019-20 / **Hindi Fortnight 2019-20 :**

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 16.09.2019 से 27.09.2019 तक लेखा परीक्षा आयुक्तालय के साथ संयुक्त रूप में आयुक्तालय के मुख्यालय में अधिकारियों एवं उनके बच्चों के लिए हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, प्रतियोगितायें चलाई गईं,समापन समरोह में नकद पुरस्कार दिए गए |

The Committee was informed that Hindi fortnight was celebrated for officers and children of officers in the Hqrs. Office of the Commissioneerate jointly with Audit Commissioneerate from 16.09.2019 to 27.09.2019, competitions were conducted, cash awards were given in the Valedictory function.

## II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / **Review of the quarterly report :-**

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई |

वे इस प्रकार हैं:-

पिछली तिमाही (2019 अप्रैल/मई/जून)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 45.1%

वर्तमान तिमाही(2019 जुलाई/अगस्त/सितम्बर)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 43.1%

यथाक्रम दिनांक 30.06.2019,30.09.2019 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -53.03%-54.08%,ख-पत्रों की संख्या -शून्य-100%, ग -50.94%-51.6% ।

The Committee was informed percentage of Hindi noting and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows :-

**Percentage of Hindi noting in previous quarter(April,May,June 2019)- 45.1%**

**Percentage of Hindi noting in current quarter(July,August,September 2019)- 43.1%**  
A-53.03%-54.08%,B-no. of letters-nil-100%, C-50.94%-51.6% for the quarters ending on 30.06.2019,30.09.2019 respectively.

अध्यक्ष महोदय ने निवारक, समीक्षा, विधिक एवं न्यायनिर्णयन अनुभागों में सामान्य टेम्पलेट्स(जैसे कि आदेश की संख्या, प्राप्ति की तिथि आदि सूचित करने के लिए) बनाने का निदेश भी दिया ।

The Chairman directed to make common templates in Preventive, Review, Legal and Adjudication sections (for eg. showing the no., date of receipt of the order etc)

**कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions**

### III विविध/Miscellaneous :-

#### अगली तिमाही के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/ Proposed programme for the next Quarter:-

a. वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा / Discussion on Annual Programme

राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा कार्यान्वयन सम्बंधित वार्षिक कार्यक्रम(सार) सभी सदस्यों को दिया गया एवं उसपर विस्तार से चर्चा की गई ।

The Annual programme(gist) issued by the Dept. Of OL was distributed among all members and it was discussed in detail.

**कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions**

b. राजभाषा नीति पर कार्यशाला | / Workshop on Official Language Policy

**कार्रवाई:राजभाषा,ई डी पी /प्रशिक्षण अनुभाग/ Action: OL Hindi, EDP, Training Sections**

c. राजभाषा मासिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना/Submission of Official Language Monthly Report on time :

हिंदी अनुवादक ने समिति के सभी सदस्यों से दरखास्त की कि अपने अपने अनुभाग /विभाग की राजभाषा मासिक रिपोर्ट समय पर ही प्रस्तुत करने की कृपा करें । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि सभी सदस्यों द्वारा इसे सख्ती से पालन किया जाए ।

d. Publication of Rajbhasha Sahayika for Thiruvananthapuram Zone

**कार्रवाई:राजभाषा,ई डी पी / जन संपर्क अधिकारी, केयर टेकर एकक/ Action: OL Hindi, EDP, PRO, Caretaker Unit**

e. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक वर्तनी पर जारी पुस्तक की खरीदी /Purchase of Book published by BIS regarding Standard Terminology

**कार्रवाई:राजभाषा/ Action: OL Hindi**

The Hindi Translator requested all members to kindly submit the Official Language Monthly report on time. The Chairman told that all members should follow it strictly.

**कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions**

### IV सदस्यों से सुझाव /Suggestions from the Members

1. त्रिशूर मंडल तथा एर्णाकुलम मंडल के प्रभारी यथाक्रम सहायक तथा उप आयुक्तों ने जी.एस.टी. मूल आदेश की प्रस्तावना द्विभाषी रूप में बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया । संयुक्त आयुक्त (तकनीकी) ने आश्वासन दिया कि उसे तुरंत बनायी जाएगी । Assistant Commissioner in charge of Thrissur Division and Deputy Commissioner in charge of Ernakulam Division suggested that Preamble to Order in Original regarding G.S.T. may be

made and issued in bilingual form. Joint Commissioner (Technical) assured that it will be made as soon as possible.

**कार्रवाई: तकनीकी व राजभाषा अनुभाग Action: Technical & OL Sections**

सदस्यों से अन्य कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराह्न 04.00 बजे समाप्त हुई ।

As no further suggestions came from the members the meeting ended at 04.00 pm with vote of thanks to the Chair.



(डॉ. टी.टिजु / Dr. T.Tiju)

अपर आयुक्त(का.व सत.)/ **ADDITIONAL COMMISSIONER(P&V)**